बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विषयः संवेदक, श्री मुकेश कुमार, कॉलनी सं0–02, इंडस्ट्रियल एरिया, कटिहार पिन–854105 (सूचीबद्धता सं0–2511202110214) के निबंधन को विभागीय आदेश ज्ञापांक–1633, दि0–31.10.2025 द्वारा अगले 05 (पॉच) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दि0–26.12.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के संबंध में।

आदेश

1. प्रस्तुत मामला लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, फॉरबिसगंज अन्तर्गत प्रकाशित NIT No-09/SBFe/2024-25 के ग्रुप सं0–01 के निविदा में प्रयुक्त दस्तावेज यथा–अनुभव प्रमाण पत्र, जमा की गई EMD की राशि एवं बैंक गारंटी दस्तावेज सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 'क' की उपकंडिका–(**VII**) के आलोक में श्री मुकेश कुमार (सूचीबद्धता संख्या–2511202110214) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–1633, दि0–31.10.2025 द्वारा अगले 05 (पॉच) वर्षो के लिए कालीकृत किये जाने से संबंधित है।
2. उक्त कालीकरण के विरूद्ध संवेदक द्वारा दि0–26.12.2025 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए काली सूची से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है एवं अपने आवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आमंत्रित निविदा के क्रम में अनुभवं प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को दिया गया था। परन्तु उनके द्वारा किसी अन्य संवेदक के दस्तावेज को अपलोड कर दिया गया। उक्त गलती को स्वीकार करते हुए संवेदक के द्वारा क्षमा याचना करते हुए निर्गत विभागीय कालीकरण आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि संवेदक के द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत आचरण एवं कागजात का उपयोग किया गया है।
3. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 घ में उल्लेखित है कि दिये गये दण्ड के विरूद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अन्दर विभागीय आयुक्त/सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। संवेदक को कालीकृत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत किये जाने की तिथि दि0–31.10.2025 है एवं उक्त कालीकरण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अपील दायर किये जाने की तिथि दि0–26.12. 2025 है।
4. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक को दिये गये दण्ड के विरूद्ध दायर अपील कालबाधित (Time Barred) है। इनके द्वारा Condonation of delay के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। साथ ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र निविदा में Upload करने संबंधी गलती स्वीकार किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक संवेदक, श्री मुकेश कुमार, (सूचीबद्धता सं0–2511202110214) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1633, दि0–31.10.2025 द्वारा अगले 05 (पॉच) वर्षों के लिए की गई कालीकृत (Blacklist) आदेश को यथावत रखा जाता है।

ह0/--
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

Black List Office Order

ज्ञापांक–12/वि0–160/2025– 447 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19.03.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–160/2025– 447 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

19.03.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12/वि0–160/2025– 447 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, फॉरबिसगंज/श्री मुकेश कुमार, कॉलनी सं0–02, इंडस्ट्रियल एरिया, कटिहार पिन–854105 (सूचीबद्धता सं0–2511202110214) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.03.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–160/2025– 447 पटना, दिनांक– 19.3.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19.03.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)